

पंजाब सिविल सेवायें नियमावली, सहिता-II यात्रा भत्ता नियम-1 भाग-1 के चैप्टर-3 के कं0सं0-1 के अन्तर्गत मुझे प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अधिकारी द्वारा कार्यक्षेत्र से बाहर यात्रा करने की संस्वीकृति प्रदान करता हूँ:-

कर्मचारी का नाम	प्रस्थान तिथि	प्रस्थान	पहुंचने की तिथि	पहुंच	प्रयोजन
श्री बलधीर सिंह, सहायक श्रम आयुक्त-I, सोनीपत	12.05.2016	सोनीपत	12.05.2016	चंडीगढ़	मुख्यालय में दिनांक 13.05.2016 को होनी वाली विभागीय बैठक में भाग लेने व ठहराव।
	13.05.2016	चंडीगढ़	13.05.2016	सोनीपत	वापिसी
	29.05.2016	सोनीपत	29.05.2016	चंडीगढ़	मुख्यालय में दिनांक 30.05.2016 को होनी वाली विभागीय बैठक में भाग लेने व ठहराव।
	30.05.2016	चंडीगढ़	30.05.2016	सोनीपत	वापिसी
	09.06.2016	सोनीपत	09.06.2016	चंडीगढ़	मुख्यालय में दिनांक 10.06.2016 को विभागीय जांच में भाग लेना व ठहराव।
	10.06.2016	चंडीगढ़	10.06.2016	सोनीपत	वापिसी
	22.06.2016	सोनीपत	22.06.2016	चंडीगढ़	माननीय आयोग सूचना का अधिकारी पेशी में दिनांक 23.06.2016
	दिनांक 23.06.2016 को ठहराव				मुख्यालय में दिनांक 23.06.2016 को विभागीय जांच में भाग लेना व ठहराव।
	24.06.2016	चंडीगढ़	24.06.2016	सोनीपत	वापिसी

दिनांक: 29.07.2016

पंकज अग्रवाल
श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृ० क्रमांक: स्था०/०१/२०१६/३११०५

दिनांक: ११/८/१६

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

1. उप श्रम आयुक्त, रोहतक
2. श्री बलधीर सिंह, सहायक श्रम आयुक्त-I, सोनीपत खजाना अधिकारी, फरीदाबाद।
3. कार्यालय आदेश फाईल।
4. आई.टी.सैल को विभाग की बैवसाईट में अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा०)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।